संख्याः 8183 /सात लाई०–48 / आबकारी नीति–2025 / 2026–27

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

निदेशक,
एन0आई0सी0 / आई0टी0डी0ए0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः जुलाई, 16, ,2026

विषयः– जनपद देहरादून की विदेशी मदिरा दुकान राजपुर रोड़ (आर0टी0ओ0) और विदेशी मदिरा दुकान डालनवाला (परेड ग्राउण्ड) के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्रांक 8177/सात लाई०–48 / आबकारी नीति–2025 / देहरादून दिनांक जुलाई 16, 2026 **(छायाप्रति संलग्न)** के द्वारा **सार्वजनिक विज्ञप्ति** जारी की गयी है।

अतः उक्त विज्ञप्ति दिनांक 16.07.2026 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रभाशंकर मिश्रा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त,
कार्यालय आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 8184-86 /सात लाई०–48 / आबकारी नीति–2025 / 2026–27 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जनपद–देहरादून।
3. जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि एन0आई0सी0 / आई0टी0डी0ए0 से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर उक्त विज्ञप्ति को अपलोड कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(प्रभाशंकर मिश्रा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त,
कार्यालय आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून

संख्याः **8177** /सात लाई०–48/आबकारी नीति–2025/देहरादूनः दिनांकः जुलाई, **16** ,2026

::सार्वजनिक विज्ञप्ति::

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद देहरादून की विदेशी मदिरा दुकान राजपुर रोड़ (आर0टी0ओ0) और विदेशी मदिरा दुकान डालनवाला (परेड ग्राउण्ड) का व्यवस्थापन मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 404/2026 (MB) व रिट याचिका संख्याः 395/2026 (MB) में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2026 को पारित आदेश के कम में वित्तीय वर्ष 2026–27 की शेष अवधि व वर्ष 2027–28 (01.04.2027 से 31.03.2028 तक) व्यवस्थापन की तिथि से Minimum Monthly Guaranteed Duty (न्यूनतम मासिक गारण्टेड अभिकर/मासिक अधिभार) पर दुकान के व्यवस्थापन हेतु ऑफर के आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

विदेशी मदिरा दुकान राजपुर रोड़ (आर0टी0ओ0)	मासिक अधिभार/एम0एम0जी0डी0 जिस पर दुकान आवंटित हुई (रू0 में)	मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 16.07.2026 को प्राप्त एम0एम0जी0डी0 के अधिकतम आफर की धनराशि (रू0 में)	EMD की धनराशि
वर्ष 2026–27	7431678/–	9231678/–	3661932/–
वर्ष 2027–28	7673788/–	9473788/–	

विदेशी मदिरा दुकान डालनवाला (परेड ग्राउण्ड)	मासिक अधिभार/एम0एम0जी0डी0 जिस पर दुकान आवंटित हुई (रू0 में)	मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 16.07.2026 को प्राप्त एम0एम0जी0डी0 के अधिकतम आफर की धनराशि (रू0 में)	EMD की धनराशि
वर्ष 2026–27	8257844/–	10057844/–	4043102/–
वर्ष 2027–28	8419917/–	10219917/–	

उपरोक्त दोनों मदिरा दुकानों के आफर के आवेदन कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून, डाण्डा लखौण्ड में दिनांक 17.07.2026 के प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 18.07.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें।

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः–176/XXIII-1/2025–04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली–वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवषीय आबकारी नीति) के प्राविधान के अनुसार वांछित अभिलेख, लाईसेन्स फीस एवं निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि वार्षिक निर्धारित राजस्व (EMD) (दोनों वर्षों के कुल राजस्व का 02 प्रतिशत के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क रू० 65,000 (नॉन रिफण्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून के पद नाम से देय होगा जो कि सम्बन्धित जनपद की शाखा में Payable स्वीकार किये जायेगें। आवेदक आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तों से भिज्ञ हो। उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट **www.uttrakhandexcise.org.in** व **www.uk.nic.in** पर भी उपलब्ध है एवं उक्त दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून (मोबाईल न0–8755792655) से प्राप्त की जा सकती है।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः **8178–8182** /सात लाई०–48/आबकारी नीति–2025/देहरादूनः तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।
5. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान व अंग्रेजी दैनिक द पायनियर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की राष्ट्रीय संस्करण में दिनांक 17.07.2026 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखंड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner